UPSR010009512026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(अनन्य रूप से पॉक्सो एक्ट) श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी–**सौरभ सक्सेना**(उच्चतर न्यायिक सेवा) UP1753

<u>जमानत आवेदन संख्या–370/2026</u>

अजय कुमार पुत्र राम प्रसाद उम्र–22 वर्ष निवासी–खैरहवा, दा०–ददौरा, थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती। ––––––– आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

1– राज्य उत्तर प्रदेश जरिये डी०जी०सी०, फौजदारी जनपद–श्रावस्ती।

2– सी०डब्लू०सी०, श्रावस्ती।

3– डी०एल०एस०ए०, जनपद–श्रावस्ती।

4–वादिनी मुकदमा लीलावती पत्नी सुकई साकिन–खैरहवा, दा०–ददौरा, थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती। ––––––अभियोगी/वादी।

<u>दिनांक–01–06–2026</u>

प्रस्तुत जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त अजय कुमार द्वारा अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–277/2025 धारा–65(1),127(2) बी०एन०एस० व धारा–3/4(2) पॉक्सो अधिनियम, थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी श्रीमती लीलावती ने प्रभारी निरीक्षक थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट को दिनांक–06–12–2025 को तहरीर इस आशय से दी कि दिनांक–06–12–2025 को समय करीब 6:00 बजे शाम उसकी लड़की पीडिता उम्र–12 वर्ष को उसके ससुर के बड़े भाई का लडका अजय कुमार अपने साथ गौसपुर बाजार सौदा/समान लाने के लिए ले गये थे। वापस आते समय खनवापुर बाग में अजय कुमार उसकी लड़की के कपड़े उतार कर गलत काम किया तथा उसकी लड़की पीडिता को रोते हुए वापस घर आयी तथा अपने साथ हुए गलत काम के बारे में रो–रोकर उसे बतायी। तब वह अजय कुमार को खोजने लगी, लेकिन वह नहीं मिला।

वादिनी की उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती में मुल्जिम अजय कुमार के विरूद्ध धारा–65(1),127(2) बी०एन०एस० व धारा–3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ।

Digitally signed by SAURABH SAXENA
Date: 2026.06.01 12:23:12 IST
Reason: ASJ (Excl POCSO Act) Shravasti
Location: District and Sessions Court Shravasti

जमानत आवेदन/शपथ पत्र में आवेदक/अभियुक्त ने यह अभिकथित किया है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक–08–12–2025 से जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध है। उपरोक्त मुकदमें में आरोप पत्र न्यायालय में आ चुका है तथा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप भी विरचित किया जा चुका है। पी०डब्लू०–1 वादिनी मुकदमा व पी०डब्लू०–2 पीडिता का बयान अंकित हो चुका है। वादिनी मुकदमा ने अपनी लड़की को ढाल बनाकर व समझा बुझाकर गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन फंसाया गया है, वह निर्दोष है और उसने कोई घटना कारित नहीं की है। आवेदक/अभियुक्त पीडिता का चचेरा भाई है और दुवारा मुहारा के रंजिश को लेकर फंसाया गया है। एफ०आई०आर० के अनुसार पीडिता को ले जाना व वापस लाना व रास्ते में किसी भी व्यक्ति का न मिलना तथा पडिता का विरोध न करना संदेहास्पद की श्रेणी में आता है। वादिनी मुकदमा ने जिरह में बताया है कि घटनास्थल पक्की सड़क से मिला है और वहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। वादिनी मुकदमा ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि उसका, अजय से दुवारा मुहारा को लेकर मुकदमा चला था। पीडिता एवं वादिनी मुकदमा ने अपने–अपने बयानों में आवेदक/अभियुक्त के परिवार वालों से रंजिश होना स्वीकार किया है। पीडिता का बयान समय के बावत भी विरोधाभाषी है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीडिता को कोई चोट चपेट नहीं है। पीडिता एवं वादिनी मुकदमा का साक्ष्य हो जाने के उपरान्त साक्ष्य तोड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उसके वृद्ध पिता की कोई देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की आर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (क्रिमिनल) की बहस को सुना और पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौरान बहस जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है और जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है। उक्त के विपरीत राज्य की आर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक (क्रिमिनल) ने यह तर्क दिया है कि पीड़िता अवयस्क बालिका है। आवेदक/अभियुक्त ने पीडिता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। अपराध संज्ञेय एवं गम्भीर प्रकृति है तथा समाज को प्रभावित करने वाला है। अतः आवेदक/अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

पत्रावली में संलग्न पीडिता के शैक्षिक अभिलेख एवं उम्र विषयक प्रमाण पत्र में पीडिता की आयु 12 बतायी गयी है। पीडिता ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 व

183 बी०एन०एस०एस० में बताया है कि वह अपने चचेरे चाचा के साथ गाड़ी पर बैठकर बाजार गयी थी और वापस आते समय चाचा बगिया में ले गये और वहां उसका मुंह बंद करके और उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। फिर उसे कपड़ा पहनाकर उसके साथ घर आया। न्यायालय में पी०डब्लू०–1 के रूप में वादिनी मुकदमा घटना का समर्थन किया है। पी०डब्लू०–2 पीडिता ने भी न्यायालय में अपने सशपथ बयान की मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है और बताया है कि घटना दिनांक को वह अभियुक्त के साथ गौसपुर बाजार सौदा लेने गयी थी। जब सौदा लेकर वापस आ रही थी तब रास्ते में खनवापुर बाग में उसके चाचा अजय ने गाड़ी रोक कर उसे बगिया में मोबाइल पर शो दिखाने के बहाने ले गये और उसका हाथ पैर दुपट्टे से बांधकर उसके कमर के नीचे के कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। **पीड़िता घटना के समय शैक्षिक अभिलेख एवं उम्र विषयक प्रमाण पत्र के अनुसार लगभग 12 वर्षीय अवयस्क बालिका थी। फील्ड यूनिट फोरंसिंक श्रावस्ती द्वारा घटनास्थल से पीडिता का एक अदद काले रंग का हेयर बैण्ड भी बरामद किया गया है**। अभियुक्त जो रिश्ते में पीडिता का चचेरा चाचा है, ने अवयस्क पीडिता के साथ हाथ पैर बांधकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार जैसा गम्भीर अपराध किया है। अपराध गम्भीर प्रकृति एवं परिवार व सामाजिक सम्बन्धों को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार नहीं हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त अजय कुमार पुत्र राम प्रसाद की आर से अन्तर्गत मुकदमा अपराध संख्या–277/2025 धारा–65(1),127(2) बी०एन०एस० व धारा–3/4(2) पॉक्सो अधिनियम, थाना–हरदत्तनगर गिरण्ट, जनपद–श्रावस्ती प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित कारागार को ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भेजी जाये।

दिनांक–01–06–2026

(सौरभ सक्सेना)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(अनन्य रूप से पॉक्सो अधिनियम) श्रावस्ती।